

विधायक संवाद

वस्तु पत्र



राजस्थान विधान सभा

25 years
1983
2008
CUTS
International

Issue 01/2010

सुशासन : विकास का आधार स्तम्भ

अवसरों में समानता लोकतंत्र की मूल भावना है और विकल्पों की आजादी, विकास का मूल मंत्र। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के इतने वर्षों बाद भी इसका एक बड़ा हिस्सा आज भी विकल्पों की आजादी और विकास के अवसर ढूँढ़ रहा है और इस तलाश में उसकी उम्मीद भरी आंखें सरकार की तरफ टिकी हुई हैं। प्रजातंत्र में एक संवेदनशील एवं हितकारी सरकार वह है जो 'जनता के द्वारा जनता के लिए' हो। परंतु दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से हमारे राष्ट्र में आजादी के 60 साल बाद भी यह संभव नहीं हो पाया है। वास्तविक अर्थों में 'जनता के लिए' सरकारों की स्थापना अभी एक स्वप्न ही है।

ऐसा नहीं है कि सरकार की नीतियां गरीबों के पक्ष में नहीं है या फिर पैसों और कल्याणकारी योजनाओं की कमी है। कमी है तो बस सही प्रबन्धन, पारदर्शिता और जवाबदेहिता की, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय के आनुपातिक परिणाम नहीं मिलते, संसाधनों का दुरुपयोग होता है और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बजट 2010-11 में आठ अलग-अलग विकास की योजनाओं में एक लाख ग्यारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, पर एक अध्ययन के अनुसार केवल दस प्रतिशत पैसा ही आम आदमी तक पहुंच पाता है।

ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सहयोग से वर्ष 2007 में भारत में किये गये एक अध्ययन में पाया गया कि गरीबी

रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के एक तिहाई लोगों ने वर्ष 2006 में 863 करोड़ रुपये अपने मूलभूत अधिकार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सार्वजनिक वितरण केन्द्र आदि द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को पाने के लिए रिश्वत के रूप में खर्च किये। यह आंकड़ा हम सभी को अचम्भित करता है।

योजनाओं के लिए मात्र फण्ड आवंटित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी अत्यावश्यक है। इसके लिए जनता से फीडबैक प्राप्त करना और उसके आधार पर कार्रवाई करना एक अनिवार्य घटक है, जिसका कि स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। शासन से सुशासन की तरफ अग्रसर होने के लिए आज शासन के सभी स्तरों पर जवाबदेहिता सुनिश्चित करने की सख्त जरूरत है। आज कानून बनाकर सरकार कई तरह के अधिकार लोगों को दे रही है जैसे रोजगार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि। परंतु यह सब अधिकार जनता को तभी दिये जा सकते हैं जबकि सुशासन हो। केन्द्र से लेकर राज्य तक आज सभी जगह सुशासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर कर सामने आया है। अब सरकार पूरी तरह यह जान चुकी है कि विकास के लिए सुशासन अपरिहार्य है।

परम्परागत रूप से सुशासन का मतलब वह तरीका या प्रकार है जिससे राज्य व उसकी विभिन्न संस्थाएं कानूनों, नीतियों, नियामकों एवं वित्तीय प्रावधानों से बाजारी शक्तियों व आम नागरिकों से सम्बन्धित प्रबन्ध व्यवस्थाएं स्थापित करती हैं। आज सुशासन एक बहुआयामी व्यवस्था है जिसमें बहुत सी संस्थागत व राजनैतिक दिशाएं अन्तर्निहित हैं। सुशासन का भावार्थ वह निर्णय प्रक्रिया व अन्य प्रक्रियाएं, जिनके माध्यम से वैधानिक शक्तियों का संचालन, आर्थिक व सामाजिक संसाधनों के उचित उपयोग से चहुँमुखी विकास करना है।

विषयागत रूप से सुशासन केवल आर्थिक स्रोतों का प्रभावी प्रबन्धन मात्र ही नहीं है। विगत 15 सालों में सुशासन की धारणा में व्यापक परिपक्वता आई है तथा राष्ट्र-राज्य या सरकार की परिधि को भी इसने लांघा है। आज विभिन्न बाजारी शक्तियों व जन संगठनों द्वारा की जा रही पहल से शासन व्यवस्था प्रभावित होती है व इसकी प्रक्रियाओं में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। आम नागरिक को यह अधिकार है कि वो जवाबदेहिता की मांग करें तथा इसके

आवंटित फण्ड (योजनाएं)		
क्र.सं.	योजना	2010-11
1.	सर्व शिक्षा अभियान	15,000
2.	मध्याह्न भोजन योजना	9,440
3.	राजीव गांधी पेयजल मिशन	9,000
4.	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान	1,442
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	15,514
6.	एकीकृत बाल विकास सेवाएं	8,700
7.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	40,100
8.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन	12,685
योग		1,11,881

राशि करोड़ रुपये में

प्रतिउत्तर में सभी लोक प्राधिकरणों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो आम नागरिकों के प्रति जवाबदेह बने।

विगत सालों में भारतीय राजनीति के गलियारों में सुशासन के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुए हैं। यदि हाल में हुए संघीय चुनावों में नजर डाले तो इसमें सुशासन ने महती भूमिका अदा की है। भारत के सामने 'सुरसा के मुख' के समान खड़ी विभिन्न समस्याओं जैसे प्रशासनिक विलम्बता, अक्षमता, भ्रष्टाचार, लोक सेवाओं की निम्न गुणवत्ता तथा न्याय देने में बहुत देरी आदि का हल इन समस्याओं हेतु जिम्मेदार विभिन्न प्रक्रियाओं में सुधार कर किया जा सकता है। वैश्वीकरण के जमाने में कोई भी राज्य कार्यकुशलता में कमी व सुशासन से समझौते की सोच भी नहीं सकता। क्योंकि, दोनों ही विदेशी निवेश के प्रतिकूल है और निवेश के अभाव में राज्य की प्रगति में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित नहीं हो सकती है। भारत सरकार द्वारा 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के लागू करने के बाद समस्त प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आमजन के लिए खोल दिया गया है जिससे कि सामाजिक जवाबदेहिता की वास्तविक मांग को बढ़ावा मिला है।


सामाजिक जवाबदेहिता से प्रभावी विकास, आमजन को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता व नीतिगत बदलावों में आमजन व गरीबों की आवाज व उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। आम आदमी के परिप्रेक्ष्य में 'सुशासन व जवाबदेहिता' का अधिकार भी आम आदमी को मिलना चाहिए जो कि सरकार से आगामी वर्षों में अपेक्षित है। चित्र में यही दिखाने का प्रयास किया गया है कि आमजन को सशक्त करना ही जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक मात्र उपाय है।

'कट्स', प्रशासन में विगत समय से विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को समूल मिटाने की कोशिशें सक्रिय रूप से कर रहा है। संगठन के

दर्शनानुसार 'कट्स' उपभोक्ता की आवाज को बलवती करने व ग्राहक शक्ति को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है जिससे कि सेवाप्रदाताओं में जवाबदेहिता की वास्तविक मांग आम लोगों द्वारा की जा सके। 'कट्स' वर्तमान में विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का सामाजिक जवाबदेहिता के विभिन्न औजारों को प्रयोग में लाकर समालोच्य विश्लेषण करता रहा है जिससे मुख्य जनता के पैसों का सही प्रयोग व आवश्यक प्रभाव व बदलाव धरातल पर आ सके।

हमारा यह अनुभव रहा है कि सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो वह राज्य के विकास और जन हित के मुद्दों पर विचार करने और उनके क्रियान्वयन के प्रयासों में कमी नहीं रखती। लाखों करोड़ों रुपए राज्य के विकास और जन हित पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खर्च किए जाते रहे हैं। केन्द्र सरकार भी राज्य को सहयोग प्रदान करती रही है। लेकिन सामने आया है उनके लाभ वास्तविक लोगों तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि, हमारे यहां सभी स्तरों पर बेहतर शासन व्यवस्था का अभाव है। प्रशासनिक अधिकारी योजनाओं को लक्ष्यों के अनुरूप समय पर क्रियान्वित नहीं कर पाते, जिसका खामियाजा अन्ततोगत्वा सरकारों को ही उठाना पड़ता है।

अब समय आ गया हम सभी सार्वजनिक क्षेत्र में जन भागीदारी का एक नया अध्याय जोड़ें, ताकि सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के मकसद से आम आदमी सरकार के सरोकारों से जुड़ सके और देश व राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यह वस्तु-पत्र संवाद को एक दिशा देने के मकसद से तैयार किया गया है। हमारा मानना है कि आप सभी आम लोगों के हित को सर्वोपरि स्थान देते रहें है और सुशासन से सम्बन्धित अनेक मुद्दों को राज्य विधान सभा में उठाते भी रहे हैं।



विचार विमर्श हेतु मुद्दे

- प्रशासनिक अव्यवस्था से गरीबों को नुकसान होता है। हमें शासन-प्रशासन को आमजन के प्रति संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए वर्तमान व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए।
- आम लोगों की बुनियादी जरूरतों (रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) को सही अर्थों में गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए।
- गरीबों के लिए बनी योजनाओं जैसे नरेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि का क्रियान्वयन बिना किसी भ्रष्टाचार या भेदभाव के हो सके और अपेक्षित लाभ उन तक आसानी से पहुंच सके इसके लिए किस प्रकार सुधार हो सकता है।

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)

कट्स सेन्टर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट)

डी-222, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोन: 91.141.228 2821

फैक्स: 228 2485, ई-मेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org

